

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक / शेडर / 2024 २४/४/2024


दिनांक- 13/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स.२०१४/2024 अनवान शीता देवी ब्रम्हा लाल बलाई निवासी बारला पोलिया बनाम रूपलाल पिता मांगीलाल माली निवासी बारला पोलिया, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम अम्बेडकर कॉलोनी प.ह. उँचा आराजी सं. 5 कुल किता 01 रकबा 0.2185 हैक्टयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किररी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/सामन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिती में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(विधि 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा


सीता देवी ब्रन्दा ताल बलाई निवासी बारला पोलिया
बनाम

सुपतलाल पिता मागीलाल मासी निवासी बारला पोलिया, बगैरह

विधि नुसदना नं. पत्र 111, 128 एल.आर.ए

नुसदना नंबर 218/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही नया इतिहास अनुसार अज	पन्ना 8 तारीख अहकाम नं. हुकम की तारीख 4 सती 50
13.05.2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अनिनाशक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/समुक्त खाते की भूमि में ग्राम अम्बेडकर कॉलोनी प.ह. उँचा आराजी स. 5 कुल कित्ता 01 रकबा 0.2185 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अग्रार्थीगम सक्त वर्गित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अग्रार्थीगम से सीना विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अनिनाशक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जनाबंदी संवत् 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अग्रार्थीगम के साथ सीना विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम अम्बेडकर कॉलोनी प.ह. उँचा आराजी स. 5 कुल कित्ता 01 रकबा 0.2185 हैक्टेयर भूमि की समयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु नू-अनिलेख निरीक्षक अनरवासी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौक पर अदा करेगा, उनसे 100 रु राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर समयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा